



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2019/ आषाढ़ 6, 1941  
No. 226] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2019/ASHADHA 6, 1941

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

### संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2019-मेड./-126165.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन) 2019" कहा जाएगा।  
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "अनुमति प्रदान करना" शीर्षक के अंतर्गत खंड 8 में, उप-खंड 5 निम्नलिखित रूप में जोड़ा जाएगा:

"8(5)

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड या केंद्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड की सिफारिश पर, जैसी भी स्थिति हो, उस प्रवेश क्षमता, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज ने आवेदन किया है, के लिए न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली में विनिर्धारित शर्तें पूरी करने में विफल रहने की स्थिति में, किसी नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना या मौजूदा मेडिकल कॉलेज की अनुमति के नवीकरण के लिए, विनिर्धारित प्रवेश क्षमता कम करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर सकता है। इस तरह की अनुमति केवल आवेदक द्वारा एक वचनपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि कम प्रवेश के साथ अनुमति का अनुदान उस शैक्षणिक सत्र के लिए स्वीकार्य है।

इसके अलावा, आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज द्वारा अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन, उस प्रवेश क्षमता के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उसे अनुमति पत्र प्रदान किया गया है।

- (ii) मेडिकल कॉलेज, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची में कॉलेज की एमबीबीएस योग्यता शामिल होने के बाद ही प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./112/19]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली, नामतः “मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98- मेड. के अंतर्गत 28 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30/07/1999, 07/10/1999, 29/07/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 26/02/2010, 16/04/2010, 26/09/2011, 01/06/2012, 30/08/2012, 21/09/2012, 28/10/2013, 18/03/2014, 16/10/2015, 29/12/2015, 02/02/2016, 05/02/2016, 18/03/2016, 17/01/2017, 01/06/2017, 03/07/2018, 05/02/2019 और 14/05/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

**BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA  
AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2019

**No. MCI-34(41)/2019-Med./126165.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations (Amendment), 2019”.  
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Clause 8, under the heading of “Grant of Permission”, sub-Clause 5 shall be added as under:  
8(5)  
(i) The Board of Governors in super-session of Medical Council of India or the Central Government on the recommendation of Medical Council of India as the case may be may consider grant of permission for establishment of a new Medical College or renewal of permission of existing Medical College to the lower prescribed intake capacity, in the event the applicant college falls short of the requirements prescribed in the Minimum Standard Requirement Regulations for the intake capacity for which the Medical College has applied. Such permission shall be granted only on the furnishing of an undertaking by the applicant that the grant of permission with reduced intake is acceptable to it for that academic session.  
Further, the application for renewal of permission by the permitted medical college for the subsequent academic year shall be for the intake capacity for which it has been granted Letter of Permission.  
(ii) The Medical College shall be entitled to apply for increase in intake capacity only after the MBBS qualification of the college is included in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956.

Dr. R. K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./112/19]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999, were published in Part-III, Section 4 extraordinary of the Gazette of India on the 28<sup>th</sup> August, 1999, vide Medical Council of India notification No. 34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 30/07/1999, 07/10/1999, 29/07/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 26/02/2010, 16/04/2010, 26/09/2011, 01/06/2012, 30/08/2012, 21/09/2012, 28/10/2013, 18/03/2014, 16/10/2015, 29/12/2015, 02/02/2016, 05/02/2016, 18/03/2016, 17/01/2017, 01/06/2017, 03/07/2018, 05/02/2019 & 14/05/2019